

**राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग**

क्रमांक: प.11(28)नविवि/कुशलगढ/2022

जयपुर, दिनांक: 25/08/2022

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम सं. 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर को कुशलगढ (जिला-बांसवाडा) के नगरीय क्षेत्र जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं, का सिविक सर्वे करने एवं क्षितिज वर्ष 2043 तक के लिए मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त करती है।

राजस्व ग्रामों के नाम

क्र. सं.	राजस्व ग्राम का नाम हिन्दी में	राजस्व ग्राम का नाम अंग्रेजी में
1.	कुशलगढ	KUSHALGARH
2.	भण्डारीया	BHANDARIYA
3.	शिकारवाडी	SHIKARWARI
4.	मोर	MOR
5.	पोटलीया	POTALIYA
6.	पाटी	PATI
7.	फुलपुरी	PHOOLPURI
8.	कुशलापाडा	KUAHLPARA
9.	गलापाडा	GALAPARA
10.	भगतपुरा	BHAGATPURA
11.	जमराई	JAMRAI
12.	रागापाडा	RAGAPARA

राज्यपाल की आज्ञा से

(नवनीत कुमार)

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर
5. जिला कलक्टर, बांसवाडा।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर।
8. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, कुशलगढ (जिला-बांसवाडा)।
9. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
10. रक्षित पत्रालयी।

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय